अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 323, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 26 सितम्बर 2018
No. 323, Port Blair, Tuesday, September 26, 2018

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
उद्योग निदेशालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 26 सितम्बर, 2018

सं. 317/2018/फा. सं. 2–93/ए.पी.2017–18 से 2019–20/पी.एल./आई.एन.डी./2017–18/खंड–III.— माननीय उप राज्यपाल, अण्ड़मान तथा निकोबार द्वीपसमूह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी के अनुदान हेतु नई योजना/कार्यक्रम "सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी, 2017 की घोषणा करते है। इस नई योजना का विवरण इस प्रकार है :

1. **योजना के नाम एवं शीर्षक** :–

इस कार्यक्रम को "सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी, 2017 कहा जा सकेगा।

2. **उद्देश्य** :–

i भारत के मुख्य भूमि के बन्दरगाह से संघ शासित प्रदेश में ईकाई के अवस्थिति तक कच्चे मालों के परिवहन तथा संध शासित प्रदेश में ईकाई के अवस्थिति से मुख्यभूमि के बंदरगाह तक तैयार सामानों के परिवहन हेतु नीचे दिए गए परिवहन सब्सिडी के अनुसार उचित माल भाड़ा की प्रतिपूर्ति होगा। लेकिन तैयार सामानों/कच्चे मालों के समुद्र द्वारा संचालन के लिए पोर्ट ब्लेयर बन्दरगाह से चेन्नई बंदगाह तक तैयार सामानों के परिवहन या चेन्नई बंदरगाह से पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह तक कच्चे मालों के परिवहन के लिए निश्चित की गई "माल भाड़ा" या भुगतान् की गई वास्तविक भाड़ा, जो भी हो, के आधार पर निर्धारित होगी।

क्रम संख्या	उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से वर्ष	उचित माल भाड़ा के लिए प्रतिपूर्ति सब्सिडी का प्रतिशत
1.	प्रथम	65%
2.	द्वितीय	50%
3.	तृतीय	40%

ii किसी भी अन्तर्द्वीपीय बंदरगाह से संघ शासित प्रदेश में ईकाई के अवस्थिति तक कच्चे माल के परिवहन तथा संघ शासित प्रदेश में ईकाई के अवस्थिति से किसी भी अन्तर्द्वीपीय बंदरगाह/जेट्टी तक तैयार सामानों के परिवहन के लिए उचित माल भाड़ा की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए परिवहन सब्सिडी के अनुसार होगी :–

क्रम संख्या	उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से वर्ष	उचित माल भाड़ा के लिए प्रतिपूर्ति सब्सिडी का प्रतिशत
1.	प्रथम	65%
2.	द्वितीय	50%
3.	तृतीय	40%

iii परिवहन सब्सिडी उन्हीं ईकाई को दी जाएगी, जिन्होंने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 2017 तक आरंभ किया है।

iv इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल से 31 मार्च 2010 तक किया गया माल भाड़ा के लिए परिवहन सब्सिडी के रूप में माल भाड़ा की प्रतिपूर्ति होगी।

3. <u>आरम्भ एवं अवधि</u> :–

यह योजना/कार्यक्रम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे तथा 31 मार्च, 2020 तक प्रचालित रहेगी। यह योजना/कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद 31 दिसम्बर, 2019 तक अपने वाणिज्यक उत्पादन आरम्भ करने वाले सभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को उपलब्ध होगा। इस योजना के किसी भी भाग को किसी भी समय जनहित में संशोधन करने का अधिकार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पास सुरक्षित हैं।

4. <u>अनुप्रयोज्यता/पात्रता</u> :–

सभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी के पात्र होंगे, बशर्ते कि ईकाई के पास या तो :

1. जिला उद्योग केन्द्र, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के साथ' सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत ज्ञापन हो, या
2. भारत सरकार उद्योग मंत्रालय का लाइसेंस धारी हो, या
3. अनुमोदित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन धारी हो, या
4. भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 100% निर्यातोन्मुखी ईकाई हो, या
5. उद्योग आधार ज्ञापन एवं उद्योग आधार अभिस्वीकृति धारी हो, या
6. जहाँ कहीं लागू हो, लाईसेंस, अनुमोदन एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र धारी हो, या
7. सब्सिडी की संगणना पर तभी विचार किया जाएगा जब नकदी रहित लेनदेन/भुगतान किया गया हो और सब्सिडी की संगणना के लिए योग्य किसी भी भुगतान को नकद में स्वीकार नहीं जाएगा।

5. <u>परिभाषा</u> :–

i. "परिवहन सब्सिडी का तात्पर्य (1) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में द्वीप बंदरगाह से इस प्रदेश में ईकाई के अवस्थिति तक कच्चे माल तथा ईकाई के अवस्थिति से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में अन्तर्द्वीपीय बंदरगाह/गोदी तक तैयार सामानों के परिवहन के लिए इस द्वीपसमूह में ईकाई के अवस्थिति से भारत के मुख्यभूमि के बंदगाह तक कच्चे माल तथा ईकाई के अवस्थिति से भारत के मुख्यभूमि के बंदरगाह तक परिवहन के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में किसी ईकाई द्वारा माल भाड़ा के लिए लिए गए प्रतिपूर्ति राशि। लेकिन तैयार समानों /कच्चे मालों के समुद्र द्वारा लाने ले जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह से चेन्नई बंदरगाह तक तैयार सामानों के परिवहन या चेन्नई बंदरगाह से पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह तक कच्चे मालों के परिवहन के लिए निश्चित की गई माल भाड़ा या भुगतान की गई वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित होगी ।

ii. माल भाड़ा का तात्पर्य जहाज और या सड़क पर चलने वाले किसी भी परिवहन वाहन द्वारा कच्चे मालों/तैयार सामानों के परिवहन के लिए किया गया खर्च लेकिन इसमें जेट्टी शुल्क प्रभार, बजरा प्रभार, निपटान प्रभार तथा लदान प्रभार शामिल नही होगा।

iii. "कच्चा माल" का तात्पर्य भारत सरकार और/या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण की प्रक्रिया में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों ईकाई द्वारा वास्तव में आवश्यक तथा उपयोग किए गए कच्चे माल।

iv. "तैयार सामान" से तात्पर्य भारत सरकार और/या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों ईकाई द्वारा वास्तव में उत्पादित सामान। उप–उत्पादों को तैयार सामान नहीं माना जाएगा।

v. "उद्यम" का तात्पर्य उद्योग की प्रथम अनुसूची (विकास एवं विनियम अधिनियम, 1951 (1951 का 65वां) में विनिर्दिष्ट उद्योग से संबंधित किसी भी तरीके से उत्पादन या विनिर्माण में संलग्न या कोई सेवा/सेवाएँ उपलब्ध/प्रदान करने में संलग्न किसी भी नाम के औद्योगिक उपक्रम या व्यापार से संबंधित या कोई अन्य स्थापना।

vi. "सूक्ष्म उद्यम" का तात्पर्य एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अध्याय–II की धारा 7 की उप धारा (i) के खण्ड (ए) के उप–खण्ड (ii) या खण्ड (बी) के उप–खण्ड (ii) के अनुसार वर्गीकृत उद्यम।

vii. "लघु उद्यम" का तात्पर्य एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अध्याय–II की धारा 7 की उप धारा (i) के खण्ड (ए) के उप–खण्ड (ii) या खण्ड (बी) के उप–खण्ड (ii) के अनुसार वर्गीकृत उद्यम।

viii. "मध्यम उद्यम" का तात्पर्य एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अध्याय–II की धारा 7 की उप धारा (i) के खण्ड (ए) के उप–खण्ड (iii) या खण्ड (बी) के उप–खण्ड (iii) के अनुसार वर्गीकृत उद्यम।

ix. "कार्यान्वित अभिकरण" का तात्पर्य उद्योग निदेशालय।

x. "नीति निर्माण एवं संवितरण अभिकरण" का तात्पर्य उद्योग निदेशालय।

xi. अनुचित उद्योग/सामान/ संचालन (अस्वीकृत सूची)।

(क) इस अधिसूचना के अनुलग्नक –iv की सूची के औद्योगिक ईकाईयाँ/मदे इस योजना के तहत् सब्सिडी के योग्य नहीं होंगे।

(ख) जब तक कि अन्य या विनिर्दिष्ट न हो, संघ शासित प्रदेश के जिले, जिसमें वे अवस्थित है, के भीतर कच्चे मालों तथा तैयार सामानों के संचालन के लिए योजना के तहत् सब्सिडी लागू नहीं होगा।

6. <u>निबंधन एवं शर्तें</u> :–

i. तैयार समानों/कच्चे मालों की समुद्र द्वारा संचालन के लिए माल भाड़ा का निर्धारण भरतीय तटीय सम्मेलन/जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा निश्चित की गई "भाड़ा दरें" या भुगतान की गई वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, के आधार पर होगी। इसी प्रकार सड़क द्वारा, तैयार सामानों/कच्चे मालों के संचालन के लिए समय–समय पर कीमत निर्धारण समिति द्वारा निश्चित की गई दरें या भुगतान की गई वास्तविक लागत जो भी कम हो, के आधार पर विचार होगी।

ii. तैयार समानों/कच्चे मालों के समुद्र द्वारा संचालन के लिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह से चेन्नई बंदरगाह तक तैयार सामानों के परिवहन या चेन्नई बंदरगाह से पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह तक कच्चे मालों के परिवहन के लिए निश्चित की गई "भाड़ा प्रभार" या भुगतान की गई वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित होगी।

iii. सब्सिडी दावा, मुख्य भूमि के बंदरगाह /अन्तर्द्वीप और ईकाई के अवस्थिति के बीच की सबसे छोटी मार्ग या परिवहन की वास्तविक लागत जो भी कम हो, पर सीमित होगी।

iv. अपने परिवहन माध्यम का उपयोग करने पर ईकाई सब्सिडी के योग्य नहीं होंगे।

v. पोर्ट ब्लेयर से औद्योगिक उद्यम के कार्यस्थल तक तथा विपरीत क्रम में सामान लादने या उतारने तथा अन्य निपटान प्रभारों की लागत को परिवहन लागतों के निर्धारण के उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा।

vi. द्वीप जहां ईकाई स्थित है, के अलावा किसी अन्य द्वीप से कच्चे माल का परिवहन किया जाता है , तो उसके लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता के संबंध में संबंधित स्थानीय प्रशासनिक विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दावा करने वाली ईकाई परिवहन के स्थान से पारगमन पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

vii. ईकाई जिसने 1 अप्रैल, 2017 या उसके बाद से इस अधिसूचना की तिथि तक उत्पादन आरम्भ किए है, को इस अधिसूचना की तिथि से 90 दिनों या उससे पूर्व तिमाही रूप में अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।

viii. ईकाई जिसने 1 अप्रैल, 2017 या उसके बाद से इस अधिसूचना की तिथि के बाद 31 दिसम्बर, 2019 तक उत्पादन आरम्भ किए है, को इस अधिसूचना की तिथि से (90 दिनों) या उससे पूर्व तिमाही रूप में अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।

ix. समुद्र द्वारा जुड़े स्थानों के बीच यदि कच्चे मालों/तैयार उत्पादों का परिवहन सब्सिडी के उद्देय से परिवहन किया जाता है, तो जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा निर्धारित आई सी सी प्रशुल्क/भाड़ा दर पर समुद्र मार्ग द्वारा कच्चें मालों/तैयार उत्पादों के परिवहन में ईकाई द्वारा दिए जाने वाले भाड़ा या दिए गए वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, उसे माल भाड़ा के रूप में लिया जाएगा।

x. इस द्वीपसमूह के भीतर भण्डारण के स्थान से ईकाई के अवस्थिति तक कच्चे मालों के संचलन तथा ईकाई के अवस्थिति से भण्डारण के स्थान तक तैयार उत्पादों के संचलन के प्रभारों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी।

xi. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम (अनिडको) या इस प्रकार के किसी अन्य औद्योगिक प्रोन्नती संस्थानों द्वारा मुख्यभूमि से कच्चे माल मंगाने वाले ईकाई, परिवहन सब्सिडी के योग्य होंगे तथा कार्यक्रम के पैरा 6 (i) में उल्लेखित अनुसार माल भाड़ा निर्धारित होगा।

xii. परिवहन सब्सिडी पर विचार किया जाएगा, चाहे वह भार के आधार पर या मात्रा के आधार पर परिवहन संचालक द्वारा प्रभारित किया गया हो।

xiii. निम्नलिखित उत्पाद, जिसे अनुप्रवाही उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, वे द्वीपसमूह के बाहर परिवहन सब्सिडी के लिए योग्य नहीं होंगे– (क) चीरा लकड़ी (ख) संसाधित बेंत (ग) समुद्री सोपी।

xiv. ईकाई अपने यहाँ आने वाले तथा यहाँ से निकलने वाले कच्चे मालों और तैयार सामानों के संचलन की नियमित सूचना देगा तथा कच्चे मालों के उत्पादन एवं उपयोग से संबंधित आवश्यक रजिस्टर/दस्तावेजों का रख–रखाव करेगा और उद्योग निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार रखेगा।

xv. ईकाई/आवेदक को तिमाही आधार पर दावा प्रस्तुत करना होगा । किए गए परिवहन खर्च की तिथि से एक वर्ष से अधिक अवधि के दावे, परिवहन सब्सिडी के प्रतिपूर्ति के योग्य नहीं होंगे और कार्यक्रम के आरंभ होने से पहले की अवधि के दावे भी योग्य नहीं होंगे।

7. <u>सब्सिडी के दावे की प्रक्रिया</u> :–

उद्योग आधार ज्ञापन एवं उद्योग आधार पावती प्राप्त करने के पश्चात् यूनिट वेवसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते है एवं इसकी प्रति उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पास संबंधित आधारभूत दस्तावेज/बिल/वाउचर के साथ समर्थन मूल्य पावती को संबंधित फार्म (अनुलग्नक–I) के साथ संलग्न कर जमा कर सकते है एवं

i. पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा कच्चा माल एवं तैयार सामग्रियों का परिवहन लागत से संबंधित प्राप्त प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–I) के साथ।

ii. परिवहन किए गए कच्चे माल एवं तैयार सामग्रियों को द्वीपों के बाहर परिवहन करने से संबंधित पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा यथावत् प्रमाणित प्रमाणपत्र।

iii. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत भूमि को वाणिज्यिक कारणों से लिए उपयोग करने से संबंधित दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो।

iv. नगर पालिका परिषद/पी.आर.आई. द्वारा अनुमोदित बिल्डिंग प्लाज जैसा आवश्यक हो।

v. प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्बाधन, जैसा आवश्यक हो।

vi. आवेदक को प्रबंधक (माल), पत्तन प्रबंध बोर्ड द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पत्तन प्रबंध बोर्ड का प्रमाणपत्र जमा करना होगा जो जलमार्ग द्वारा कच्चा माल एवं तैयार सामग्रियों को परिवहन करने संबंधित होना चहिए। (अनुलग्नक III)

vii. माल एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र।

viii. सभी आवेदको एवं को–आवेदकों के पैन कार्ड की प्रतियां।

ix. पासपोर्ट की प्रति/बैंक खाते का विवरण स्पष्ट रूप से लेखा संख्या, शाखा का नाम, बैंक का नाम, आई.एफ. एस.सी./एम.आई.सी.आर. कोड लिखा होना चाहिए।

x. यदि नए उद्यम हो तो मूल्यांकण क्षमता प्रमाण पत्र के साथ जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वितरण किए गए कच्चे माल की खपत एवं तैयार माल की प्रस्तुत मात्रा का विवरण तथा विद्यमान यूनिट जो विस्तार की ओर अग्रसित है तो उत्पादों की क्षमता मे बढोत्तरी तथा यदि उद्यम विविधिकरण की ओर हो तो नई उत्पादन क्षमता/कच्चे माल का विवरण।

xi. उतारने की मूल बिल की प्रतियां, बिल, रोकड़ रसीद, सड़क परिवहन बिल, आधारभूत रोकड़ रसीद,, पत्तन प्रबंध बोर्ड प्रभार भुगतान वाउचर, वारफेज़ प्रभार रसीद, बिक्री बिल, खरीद बिल आदि।

xii. कच्चा माल प्रापण के संदर्भ में कर इनवाइज।

xiii. तैयार सामग्रियों की बिक्री के संबंध तक कर इनवाइज।

xiv. दावा अवधि/जी.एस.टी. भुगतान, चालान/रसीद के लिए जी.एस.टी. निर्बाधन प्रमाणपत्र।

xv. आबकारी शुल्क योग्य सामग्री हो तो आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र जिस पर तिमाही आधार पर खाली की गई मात्रा/आबकारी भुगतान चालान/प्रतिदाय विवरण दर्शाई गई, मात्रा एवं मूल्य उल्लेखित होना चाहिए।

xvi. यदि स्थानीय बिक्री हो तो खरीदार के पते सहित भुगतान रसीद का विवरण (नकद/चैक) के साथ सनदी लेखाकार द्वारा विवरण के मुख्य भाग में प्रमाण पत्र होना चाहिए।

xvii. दावा अवधि के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर्मचारियों की सम्पूर्ण सूची ।

xviii. परिवहन सब्सिडी के लिए जमा किए गए आवेदनों को उद्योग निदेशक द्वारा जांच किया जाएगा और प्रमाणित सत्यापन रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।

xix. इसके साथ ही परिवहन सब्सिडी के दावे की योग्यता के लिए उद्योग निदेशक सत्यापन/जांच के लिए कोई अन्य प्रमाणपत्र की भी मांग कर सकता है।

8. <u>मूल्य निर्धारण समिति, उप–समिति एवं जाँच समिति</u> :–

i. मूल्य निर्धारण समिति

मूल्य निर्धारण समिति द्वारा सड़क परिवहन के लिए निर्धारित किए गए दर इस प्रकार से है :–

a)	उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	: अध्यक्ष
b)	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त), वित्त एवं आबकारी विभाग के प्रतिनिधि	: सदस्य
c)	राज्य परिवहन सेवा विभाग, अं. तथा नि. प्रशासन के प्रतिनिधि	: सदस्य
d)	अण्डमान लोक निर्माण विभाग अं. तथा नि. प्रशासन के प्रतिनिधि	: सदस्य
e)	सहायक निदेशक (तकनीकी), उद्योग निदेशालय	: सदस्य सचिव

मूल्य निर्धारण समिति की भूमिक एवं कार्य अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सड़क द्वारा सामग्रियों के परिवहन के लिए सड़क दर की गणना करना। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पास निर्धारित दर उपलब्ध नहीं है।

ii. उप–समिति

दावे को निम्नलिखित उप–समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसमें सम्मिलित होंगे :–

a)	उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	: अध्यक्ष
b)	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त), वित्त एवं आबकारी विभाग के प्रतिनिधि	: सदस्य
c)	मुख्य पत्तन प्रशासक, पत्तन प्रबंध बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि जो कि प्रबंधक के पद से कम से कम न हो	: सदस्य
d)	माल एवं सेवा कर विभाग, अं. तथा नि. प्रशासन के प्रतिनिधि	: सदस्य
e)	राज्य परिवहन सेवा विभाग, अं. तथा नि. प्रशासन के प्रतिनिधि जो कि सहायक अभियंता के पद से कम से कम न हो	: सदस्य
f)	जहाज रानी सेवा निदेशालय, अं. तथा नि. प्रशासन के प्रतिनिधि जो कि सहायक निदेशक के पद से कम से कम न हो	: सदस्य
g)	सहायक निदेशक (तकनीकी), उद्योग निदेशालय, कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिकारी पर पदनामित, उद्योग निदेशालय	: सदस्य सचिव

उपरोक्त स्कीम के क्रियान्वयन में उप–समिति की निम्नलिखत भूमिका एवं कार्य हैं :–

क. उप–समिति इस स्कीम के तहत जाँच समिति के समक्ष आने वाली सब्सिडी के सभी दावों की जाँच तथा सिफारिश करेगी।

ख. उप–समिति यह सुनिश्चित करेगी कि की गई सिफारिशें जाँच–परख कर तथा संबंधित विभाग से कागजातों की जाँच करने के बाद की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे कच्चे माल और परिष्कृत सामग्रियों का परिवहन किया गया है जिसके लिए सब्सिडी की शिफारिश की गई है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उप–समिति द्वारा सिफारिश की गई सब्सिडी राशि में कच्चे माल और परिष्कृत सामग्रियों के परिवहन के लिए इकाई द्वारा किए गए नकद भुकतान शामिल न हो।

ग. अन्य आवश्यक कागजातो के साथ–साथ, उप–समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि दावेदार ने पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्राप्त इस द्वीपसमूह/संघराज्य क्षेत्र, जहाँ एमएसएमआई इकाई स्थापित है, में कच्चे माल और परिष्कृत सामग्रियों की आयात तथा निर्यात करने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उप समिति कोई अन्य कागजात प्रस्तुत कर सकती है जिसमें इस स्कीम के तहत सब्सीडी के लिए दावदार की पात्रता की सिफारिश के लिए उनके विचार में आवश्यक है। उप–समिति उनके द्वारा की गई जाँच के संबंध में प्रमाणपत्र देगी।

घ. उप–समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इकाई द्वारा दावा की गई सब्सिडी उनके निजी मालवाहक वाहन से कच्चे माल और परिष्कृत सामग्रियों को लाने–ले जाने के लिए नहीं है।

ङ. उप–समिति दावों को अपनी सिफारिशों के साथ जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

ii <u>जांच समिति</u> :–

उप–समिति की सिफारिशों को एमएसएमई के दावों के विवरण के साथ निम्नलिखितों को शामिल करते हुए गठित जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा :–

क. सचिव (उद्योग), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	– अध्यक्ष
ख. मुख्य पत्तन प्रशासक	– सदस्य
ग. संयुक्त सचिव (वित्त), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	– सदस्य
घ. निदेशक, राज्य परिवहन सेवा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	– सदस्य
ङ. निदेशक, नौवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	– सदस्य
च. निदेशक, उद्योग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	– सदस्य सचिव

iii. जाँच समिति की सिफारिशों के बाद उद्योग निदेशालय सक्षम प्रधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

9. <u>संस्वीकृति प्राधिकारी</u> :–

माननीय उप राज्यपाल, अ. तथा नि. द्वीपसमूह संस्वीकृति प्राधिकारी होंगे या वित्तीय शक्ति नियम, 1978 के प्रत्यायोजन के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के दिनांक 28 मार्च, 2014 के आदेश सं. 995 द्वारा उनमें विनिर्दिष्ट वित्तीय सीमा तक या समय–समय पर लागू अनुसार सब्सिडी/वित्तीय सहायता के संबंध में व्यय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासनिक सचिव/विभागाध्यक्ष को पुनः प्रत्यायोजित किया गया है।

10. <u>प्रलेखन</u> :–

संस्वीकृति प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त हाने के बाद उद्योग निदेशालय स्वीकृत राशि बताते हुए इकाई को स्वीकृति पत्र जारी करेगा और स्वीकृत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इकाई को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :–

क. इस कार्यक्रम में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में (अनुलग्नक–IV) में सरकार के साथ किया गया करार।

ख. प्राधिकृत व्यक्ति और बैंक विवरण।

ग. इकाई का वचन पत्र जिसमें कहा गया हो कि यदि इकाई सरकारी/वित्तीय संस्थानों/बैंक/निगमों से निर्धारित सम्पत्ति (अनुलग्नक–V) के सृजन के लिए वित्तीय सहायता ली है तो सब्सिडी ऋण खाता में समायोजित कर दिया जाएगा।

11. <u>सब्सिडी का संवितरण</u> :–

उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन सब्सिडी संवितरित करने की एजेन्सी होगा तथा उन सभी संवितरणों के रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी निभाएगा। सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति तथा कागजात प्राप्त कर उद्योग निदेशालय बिल तैयार कर सब्सिडी के संवितरण के लिए मुख्य वेतन तथा लेखा कार्यालय को भेजेगा।

12. <u>सब्सिडी वापस लेना</u> :–

उप राज्यपाल, अं. तथा नि. द्वीपसमूह इस स्कीम के तहत किसी इकाई को संवितरित सब्सिडी को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस ले सकते हैं :–

i. उद्यमियों/इकाई द्वारा इस कार्यक्रम/करार की किसी भी शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर।

ii. इकाई द्वारा गलत प्रतिवेदन देकर या तथ्यों को छुपाकर या गलत सूचना देकर सब्सिडी प्राप्त करने पर।

iii. उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर यदि इकाई कोई उत्पादन नहीं करता है, उन मामलों को छोड़कर जिसमें इकाई द्वारा अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से छः माह से कम अवधि के लिए उत्पादन नहीं किया गया हो।

iv. जब और जैसे रिपोर्ट मांगे जाने पर यदि इकाई द्वारा कोई सूचना/रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर।

v. उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से पूर्व अनुमति के बिना, यदि इकाई द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने के बाद पाँच वर्ष के भीतर अपनी इकाई या इसके किसी भाग को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने पर या मियादी पूंजी निवेश के किसी कुछ भाग या पूरे भाग को बेचे जाने पर।

vi. यदि किसी भी कारणों से इकाई को अयोग्य पाए जाने पर विभाग को पूरी सब्सिडी या उसके किसी भाग को वापस लेने की छूट होगी।

13. <u>निर्वचन का अधिकार</u> :–

इस कार्यक्रम के तहत किसी भी खण्ड के निर्वचन का अधिकार, अं. तथा नि. प्रशासन के पास होगा।

14. <u>छूट देने की शक्ति</u> :–

इस कार्यक्रम के तहत किसी भी खण्ड की छूट देने का अधिकार प्रशासक, अं. तथा नि. प्रशासन के पास होगा।

15. <u>मध्यस्थता</u> :–

इस कार्यक्रम से या इसके दावों से कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होने पर उसे माननीय उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम,1996 लागू होगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टी उसे मानने के लिए बाध्य होंगे तथा मध्यस्थता पोर्ट ब्लेयर में ही की जाएगी।

16. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी स्कीम, 2017 से उत्पन्न विवादों का निपटान पोर्ट ब्लेयर के सक्षम न्यायालय के न्याय अधिकार क्षेत्र के तहत किया जाएगा।

एडमिरल डी. के. जोशी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम., एन.एम., वी.एस.एम.(सेवानिवृत्त)
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
अजित आनन्द
उद्योग निदेशक

चेक लिस्ट

1.	पंजीकरण संख्या	
2.	पंजीकरण तिथि	
3.	वाणिज्यिक उत्पाद आरंभ होने की तिथि	
4.	यदि कोई विस्तार किया गया हो तो तिथि	
5.	परिवहन के अपनी तरीके का नियोजन (हाँ/नही)	
6.	परिष्कृत काष्ठ/संधाधित बेंत/समुद्री सीप का परिवहन (हाँ/नही)	
7.	क्या पहली बार दावा किया गया है (हाँ/नही)	
8.	उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि	
9.	क्या व्यावसायिक उत्पाद के पाँच वर्ष पूरे हुए (हाँ/नही)	
10.	परिसज्जित उत्पादों के नाम	
11.	कच्चे माल का नाम	
12.	प्राप्त अंतिम सब्सिडी की अवधि	
13.	सब्सिडी की अवधि	
14.	माल ढुलाई खर्च की तारीख	
15.	क्या माल ढुलाई खर्च प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया (हाँ/नही)	
	जमा किए गए दस्तावेजों का विवरण	
16	संबंधित फार्मेट में आवेदन	
17.	कच्चा माल एवं परिसज्जित माल के परिवहन के व्यय से संबंधित सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र	
18.	कच्चा माल का परिवहन करने एवं तैयार उत्पाद को द्वीपों के बाहर परिवहन करने से संबंधित सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रमाण।	
19.	भूमि स्वामित्व दस्तावेज/लीस करार	
20.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त भूमि रूपान्तरण आदेश	
21.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन	
22.	लाईसेंस/अनुमोदन/एन.ओ.सी. (अनापत्ति पत्र) (जहां लागू होगा)	
23.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त दिनांक के साथ अनापत्ति पत्र	
24.	बिल/वाउचर/दावा किए गए मशीनरी एवं उपकरणों की नकदी रसीद	
25.	कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों का समुद्र द्वारा परिवहन किए जाने का पत्तन प्रबंधन बोर्ड का प्रमाण पत्र	
26.	स्टाक विवरण, रसीद, कच्चे माल का उत्पादन एवं खपत/तैयार सामग्रियों का प्रेषण	
27.	सत्यापन/जांच के लिए कोई अन्य दस्तावेज जो योग्यता निर्णय करता हो।	

आवेदन फार्म

1.	आवेदक एवं उद्यम का नाम			
2.	सम्पर्क के लिए पता			
3.	उद्यम की स्थिति			
4.	उद्यम की श्रेणी (सूक्ष्म, लघु, मध्यम)			
5.	संस्थान की किस्म			
6.	उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ होने की तिथि			
7.	दिनांक सहित पंजीकरण संख्या			
8.	दिनांक सहित भूमि रूपान्तरण आदेश			
9.	दिनांक सहित बिल्डिंग प्लान अनुमोदन आदेश			
10.	प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त दिनांक के साथ अनापत्ति पत्र			
11.	यूनिट की गतिविधि के लिए अनुमोदित निम्न वित्तीय संस्थान /बैंक (यदि कोई हो)			
12.	उद्यम की लागत	निजी	तृण	कुल
	कुल			
13.	रोज़गार (संख्या)	स्थानीय	गैर स्थानीय	
14.	श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारिरीक विकलांग/महिला)			
15.	दावा की अवधि			
16.	प्रति वर्ष क्षमता (परिसज्जित उत्पाद)			
17.	उत्पाद का नाम	मात्रा	बिक्री के बाद कीमत	
18.	प्रति वर्ष क्षमता (उत्पादन)	मात्रा	मूल्य	
19.	दावा किए गए कच्चे माल की खपत दिनांक................से ....तक			
	कच्चे माल का नाम	मात्रा	मूल्य	
20.	दावा किए गए अवधि में...................से .... आयात की गई मात्रा			
21	कच्चे माल का नाम	मात्रा	मूल्य	
22.	दावा किए गए अवधि तक ....से...........................उत्पादन			
23.	परिसज्जित सामग्रियों के नाम	मात्रा	मूल्य	
24.	बाहर निर्यातित मात्रा			
25.	कच्चे माल की खरीद का दिनांक एवं खरीद की स्रोत			
26.	उत्पाद बिक्री का स्थान/दिनांक के साथ प्रेषण			

क्र.सं.	कच्चे माल की ढुलाई			परिसज्जित माल की ढुलाई			कुल
	जहाज भाड़ा	सड़क भाड़ा	कुल (रू.)	जहाज भाड़ा	सड़क भाड़ा	कुल (रू.)	कुल ढुलाई भाड़ा (रू.)

1. प्रमाणित किया जाता है कि सूक्ष्म, एवं लघु उद्यम के लिए सम्पूर्ण विवरण अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी के अनुरूप भरा गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दावे पर एम एस एम ई उद्यमों के लिए परिवहन सब्सिडी कार्यक्रम के अनुसार आंतरिक गतिविधियों लोड करने/उतारने एवं रख–रखाब करने का कोई भी राशि सम्मिलित नहीं है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि सब्सिडी का अब किया गया दावा उस अवधि से संबंधित है जिस सब्सिडी पर दावा नही किया गया अथवा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन/भारत सरकार के किसी प्रक्रिया द्वारा प्रतिपूर्ति किया हो।

4. प्रमाणित किया जाता है कि सब्सिडी पर अब किया गया दावे का भारत सरकार/ अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के किसी भी प्रकार के दावे से संबंधित नही हैं।

5. मैं/हम पुनः प्रमाणित करते है कि यदि दावा किया गया है तो कच्चे माल की खपत एवं अर्ध परिसज्जित उत्पादों की त्रैमासिक वापसी अद्यतन, संवितरण एजेन्सी को जमा कर दिया गया है। हम पुनः यह परिवचन करते है कि बिक्री एजेन्सियों के अभिलेख के लिए अगले पाँच वर्षों तक का इसी प्रकार की त्रैमासिक ब्यो जमा किया जाएगा।

6. मैं/हम पुनः प्रमाणित करते है कि जिस व्यय के लिए मेरे/हमारे द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने का दावा किय गया उक्त उल्लेखित दावे की राशि असल में मेरे द्वारा भुगतान किया गया है और इसके एवज में हमारे खा पर किसी भी प्रकार का ऋण बकाया नहीं हैं।

7. मैं/हम पुनः प्रमाणित करते है कि उपरोक्त के अन्तर्गत किया गया दावा केवल औद्योगिक कच्चे माल आयात की ढुलाई की है जो उत्पादन एवं परिसज्जित उत्पादों की उद्यमियों के विपणन के लिए निर्यात नितांत आवश्यक है जिसमें की उद्यमियों को निर्यात एवं आयात के लिए कोई भी सामान्य दावा संलग्न नह है।

8. मैं/ यह वचन देता हूँ/ हम वचन देते है कि मेरे/ हमें प्राप्त भुगतान के वर्ष के 05 वर्ष तक के अवधि क समाप्ति 9 महिने के भीतर मेरे/ हमारे उद्यम के लेखा, वार्षिक परिक्षा विवरण और तुलन पत्र संवितर अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

9. मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हूँ कि मैं/ हम अब से इस कार्यक्रम के अधीन मुझे/ हमें भुगतान की गई रा को अविलम्ब वापस कर दूंगा/ देंगे यदि किसी भी कारण से हमें वास्तविक स्वीकार्य राशि रु...../ (रुपये .....) से अधिक राशि .....% सब्सिडी के रूप में भुगतान की जा है। मेरे/ हमारे द्वारा देय ऐसे सभी अन्य प्रकार/ व्यय राशि पर सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित पर व्याज का भुगतान करने के लिए भी मैं/ हम उत्तरदाई हांगे।

10. यह पुनः भी प्रमाणित किया जाता है कि इस यूनिट के लिए मैने सरकार/वित्तीय संस्थानों से न ही क आवेदन दिया और न ही अनुदान राशि के रूप में कोई राशि प्राप्त हुई है।

आवेदक का हस्ताक्ष

अनुलग्नक–II

सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी)

परिसज्जित उत्पादों/कच्चा माल एम/एम..... दिनांक .....
से ..... तक यूनिट से परिसज्जित उत्पादों का निर्यात.....से ..... में प्रेषण किया गया।

प्रेषण रसीद का दिनांक	उत्पाद के नाम/ कच्चा माल	जलयान का नाम एवं यात्रा संख्या	लोडिंग संख्या एवं दिनांक का बिल	प्रेषण की गई मात्रा/ आयात किया क्यू.भी. / मै.ट.	लोड किए गए बंदरगाह	उतारा गया बंदरगाह	भुगतान किया गया जहाज़ भाड़ा	यूनिट की अवस्थिति से बंदरगाह तक भुगतान किया गया सड़क भाड़ा/वापसी भी	उठाया गया कुल भाड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल									

प्रमाण पत्र

1. मैं/हम उपरोक्त एम/एस .....की उक्त विवरण का जांच किया जो कि उद्यम के लेखा खाता के साथ एक करार पत्र है जैसा मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना मेरे/हमारे सूचना के अनुसार सत्य है और मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सही पाया गया एवं सत्य प्रमाणित किया गया।

2. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि उक्त व्यय/सामग्री भुगतान के लिए है एवं उद्यम के खाते पर इसके लिए कोई भी राशि जमा बकाया नहीं ।

3. हम पुनः प्रमाणित करते है कि बाहर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्यात किए जाने वाली तैयार सामग्रियां पूरी तरह से इस यूनिट द्वारा तैयार किया गया एवं ऐसे निर्यात उद्यम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। उक्त उल्लेखित निर्यात के साथ यूनिट/कम्पनी के सामान्य निर्यात के साथ शामिल नहीं हैं। यहाँ सामान्य निर्यात से तात्पर्य जिसका कि उत्पादन के साथ जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक – III

पत्तन प्रबंध बोर्ड का प्रमाण पत्र

क्र.स.	सामग्री का नाम	जहाज का नाम	यात्रा संख्या	मात्रा	वार्फएज रसीद संख्या	अभ्युक्तियां

पत्तन प्रबंध बोर्ड

करार

यह विलेख दिनांक ..... को भारत के राष्ट्रपति, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माध्यम से कार्य करते हुए, उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के माध्यम से कार्य करते हुए, जिन्हें यहाँ इसके पश्चात् "प्रथम पक्ष" कहा जाएगा (यह वाक्यांश, जब तक कि यह प्रसंग या उसके अर्थ के विरूद्ध न हो, इसमें उनके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक एवं समनुदेशिती शामिल होंगे तथा मेसेर्स ..... जिसका कार्यालय ..... पर है, जिन्हें यहाँ इसके पश्चात् "द्वितीय पक्ष" कहा जाएगा (यह वाक्यांश, जब तक कि यह प्रसंग या उसके अर्थ के निरूद्ध न हो, इसमें उनके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासन एवं समनुदेशिती शामिल होंगे), के बीच हो रहा है।

जबकि :

1. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित उद्यमी इकाईयों के लिए "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को परिवहन सब्सिडी, 2017" नामक एक कार्यक्रम/स्कीम तैयार किया है (यहाँ इसके पश्चात् इसे "उक्त कार्यक्रम/स्कीम" कहा जाएगा) जिसके तहत् अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन इस द्वीपसमूह के उन पक्षकारों को जो अपना उद्योग/इकाई स्थापित करेंगे तथा जो इस द्वीपसमूह के विद्यमान उद्योगों में पर्याप्त विकास/विस्तार करेंगे और जो इस कार्यक्रम के तहत् निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को पूरा करेंगे, को सब्सिडी दिया जाएगा।
2. द्वीपों की परिवहन सब्सिडी (यहां इसके पश्चात् "उक्त सब्सिडी" कहा जाएगा) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के द्वारा मंजूर किया जाएगा।
3. 'प्रथम पक्ष' ने उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (यहां इसके पश्चात् " उद्योग निदेशक " कहा जाएगा) को उक्त सब्सिडी के संवितरण के लिए अभिकर्ता (एजेंट) नियुक्ति किया है।
4. द्वितीय पक्ष ने .....में एक उद्योग की संस्थापना की है और सब्सिडी कार्यक्रम के शर्तों को पूरा किया है और इसलिए उक्त सब्सिडी कार्यक्रम के तहत् हित लाभ पाने के लिए पात्र है।
5. उक्त सब्सिडी कार्यक्रम के तहत 'द्वितीय पक्ष' अपने यूनिट के अवस्थिति से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के किसी द्वीप या चेन्नई पत्तन तक एवं चेन्नई पत्तन से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तक कच्चा माल/तैयार वस्तुओं के परिवहन के लिए लगने वाले माल–भाड़ा का खर्च की गई राशि/लागत का .....% सब्सिडी पाने के लिए पात्र है।
6. द्वितीय पक्ष ने अपने दिनांक.....के आवेदन के द्वारा रूपए...../–(रूपए..... ..... मात्र) की सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रशासन से प्रार्थना की है।
7. उपरोक्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा तत्पश्चात् समय–समय पर दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार ..... पर स्थित यूनिट से माल–भाड़ा के लिए कुल व्यय रूपए...../– (रूपए..... मात्र) आंकलित हुआ है। तद्नुसार अधिकतम ग्राहय राशि .....% के अनुसार रूपए...../–(रूपए..... मात्र) होता है।
8. 'द्वितीय पक्ष' के द्वारा जमा किए गए आवेदन एवं उत्तरवर्ती अभ्यावेदनों पर निर्भर करते हुए 'प्रथम पक्ष' ने रूपए...../–(रूपए..... मात्र) की सब्सिडी स्वीकृत की है तथा 'प्रथम पक्ष' की ओर से उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन 'द्वितीय पक्ष' को यह राशि प्रदान करेगा जब 'द्वितीय पक्ष' यहाँ इसके आगे उद्धरित के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ तैयार/निष्पादित करेगा और रूपए..... /–(रूपए..... मात्र) की राशि का स्थाई संपति (फिक्स्ड असेट्स) का सृजन करेगा।

अब यह विलेख साक्षित करता है और एतद्द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा और उनके बीच यहाँ सके आगे अधोलिखित पर सहमति होता है कि–

'प्रथम पक्ष' के द्वारा उक्त कार्यक्रम के तहत् 'द्वितीय पक्ष' को सब्सिडी के रूप में कुल रूपए...../– (रूपए..... मात्र) की राशि को उतने किश्तों में जितना की प्रशासन अपने एकल विशेषाधिकार से उचित समझेगा, जो कि 'द्वितीय पक्ष' के द्वारा अपने उक्त यूनिट के लिए माल–भाड़ा के रूप में खर्च की गई राशि रूपए...../–(रूपए..... मात्र) के लिए सब्सिडी के रूप में देने के लिए सहमत होने को देखते हुए 'द्वितीय पक्ष' एवं प्रत्येक दोनों एतद्द्वारा सरकार के साथ अधोलिखित के अनुसार प्रसंविदा करते हैं :–

1. उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को यह हक होगा कि वह अपने एकल विशेषाधिकार का प्रयोग करके 'द्वितीय पक्ष' को सब्सिडी का संवितरण कितने भागों में चाहे वह एक या अधिक किश्तों में करें, जब 'द्वितीय पक्ष' के द्वारा सब्सिडी एवं इस करार के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करता हो।

2. ऐसी परिस्थिति जब उद्योग निदेशक अंततः किसी कारणवश, जो कुछ भी हो, निर्णय लेता है कि 'द्वितीय पक्ष' कम राशि के हकदार हैं, तो ऐसी अवस्था में "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आधारभूत संरचना सब्सिडी, 2017" के तहत् प्राप्त अधिक राशि को 'द्वितीय पक्ष' के द्वारा 'प्रथम पक्ष' या 'प्रथम पक्ष' के प्राधिकृत एजेंट उद्योग निदेशक, को 12½% (साढ़े बारह प्रतिशत) प्रति वर्ष के दर से ब्याज या ऐसे अन्य उच्च दर के ब्याज से जैसा कि 'प्रथम पक्ष' या उद्योग निदेशक के द्वारा समय–समय पर निर्धारित करेगा, की दर से रूपए...../–(रूपए..... मात्र) या इसकी कोई अंश, जिसका भुगातान इस करार के तहत् किया गया है, के भुगतान की तिथि से वापस चुकाने तक, ब्याज सहित वापस करना होगा।

3. उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना 'द्वितीय पक्ष' एम.एस.एम.ई. यूनिट के संपूर्ण या किसी अंश के स्थिति/स्थान को नहीं बदलेगा और न ही उक्त परियोजना में कोई बड़ा परिवर्तन करेगा।

4. 'द्वितीय पक्ष' छह माह के भीतर या उन तिथियों को, जैसा कि प्रशासन के द्वारा समय–समय निर्धारित करेगा, अपनी लेखापरीक्षित तुलन–पत्र एवं लाभ–हानि लेखा की प्रमाणित प्रतिया उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन/'प्रथम पक्ष' को प्रस्तुत करेगा।

5. 'प्रथम पक्ष' के द्वारा 'द्वितीय पक्ष' को भुगतान की गई उक्त राशि रूपए...../–(रूपए..... मात्र) या उसका उक्त अंश, जिसका भुगतान अब तक की गई है, को अधोलिखित में से किसी भी परिस्थितियों में 'द्वितीय पक्ष' के द्वारा 'प्रथम पक्ष' को वापस चुकाएगा/लौटाएगा।

(क) यदि 'द्वितीय पक्ष' एक उचित समय अवधि के भीतर उत्पादन करने में असमर्थ रहता है, या;

(ख) यदि 'द्वितीय पक्ष' उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर उत्पादन करना बंद कर देता है, या;

(ग) यदि 'द्वितीय पक्ष' उत्पादन आरम्भ होने से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर एम.एस.एम.ई. यूनिट की स्थिति को पूरी तरह से या उसके किसी भाग को बदलता है या कुल स्थायी पूंजीगत निवेश के काफी बड़े अंश को परिवर्तित करता है, या;

(घ) यदि 'द्वितीय पक्ष' के द्वारा अपने सब्सिडी के आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी सूचना या उक्त यूनिट के स्थिति, पूंजीगत निवेश एवं उत्पादन क्षमता के बारे में कोई खास सूचना, जो कि उक्त राशि रूपए...../–(रूपए..... मात्र) के सब्सिडी के रूप में स्वीकृत होने के पूर्व, गलत या असत्य पाया जाता है, या;

(ड.) यदि 'द्वितीय पक्ष' के किसी संपति या उक्त फैक्टरी के किसी भाग पर करस्थम या निष्पादन उद्गृहीत किया जा रहा है और इसके लिए प्रापक (रिसीवर) नियुक्त किया जा रहा है, या;

(च) यदि 'द्वितीय पक्ष' के किसी भी प्रसंविदा या इसमें निहित किसी प्रावधान या निबंधन एवं शर्तों और जो उनके ओर से करना और मानना था, को भंग करता/तोड़ता है, या;

(छ) यदि 'द्वितीय पक्ष', श्रमिकों के संकट, विद्युत शक्ति या कच्छा माल की कमी के कारणों को छोडकर किसी अन्य कारणवश उक्त फैक्टरी को छः माह से अधिक समय के लिए बंद रखता है तो इसे व्यवसाय को बंद करना कारित होगा, चाहे वह कोई भी कारण हो, या;

(ज) यदि 'द्वितीय पक्ष' या उनका कोई साझेदार न्यायनिर्णित दिवालिया होने के लिए याचिका दायर करता है या न्यायनिर्णित दिवालिया हुआ है, या;

(झ) यदि 'द्वितीय पक्ष' के कंपनी को समाप्त करने/समेटने के लिए कोई याचिका किसी न्यायालय के समक्ष प्ररतुत किया है, या 'द्वितीय पक्ष' के कंपनी द्वारा कंपनी को समाप्त करने/समेटने के लिए कोई संकल्प पारित किया है, या;

(ञ) यदि 'द्वितीय पक्ष', 'प्रथम पक्ष' के द्वारा अपेक्षित ऐसे और दस्तावेज़ों को निष्पादित करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है, या प्रथम पक्ष या उद्योग निदेशक के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो ऐसे प्रत्येक परिस्थितियों में 'द्वितीय पक्ष' उपरोक्त संपूर्ण राशि को इसके भुगतान की तिथि से वापस चुकाने तक 12½%(साढ़े बारह प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर के ब्याज या ऐसे अन्य उच्च दर के ब्याज से जैसा की 'प्रथम पक्ष' या उद्योग निदेशक के द्वारा समय–समय पर निर्धारित करेगा, के साथ वापस लौटाने के लिए सहमति देता है।

6. 'द्वितीय पक्ष', 'प्रथम पक्ष' के द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी भी समय और समय–समय पर सामान्य कार्य के घंटों के दौरान उक्त उद्यम के किसी भी भाग का निरीक्षण करने और जाँच करने की अनुमति प्रदान करेगा और उसे/उनको उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा। 'द्वितीय पक्ष', 'प्रथम पक्ष' या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जैसा की ऊपर कहा गया है, को उस फैक्टरी के वो सभी सूचनाए उपलब्ध करवाएगा जैसा कि उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के द्वारा मांगा जाएगा।

7. 'द्वितीय पक्ष' उक्त राशि रूपए.....(रूपए.....मात्र) के उपयोजन के संबंध में 'प्रथम पक्ष' या उद्योग निदेशक के द्वारा समय–समय पर जारी सभी अनुदेशों, और निदेशों को मानेंगे और पालन करेगें, तथा 'प्रथम पक्ष' या उद्योग निदेशक के द्वारा निर्धारितप्रपत्र (संलग्नक IV) में यहां इसके पश्चात् से पाँच वर्ष तक उक्त यूनिट के कार्य करने की प्रकिया पर प्रथम पक्ष या उद्योग निदेशक को आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. 'द्वितीय पक्ष'
   (क) भारत सरकार या प्रथम पक्ष या संवीक्षा समिति के सदस्य सचिव के द्वारा समय समय पर मांगी जाने वाली सुविधाएँ उपलब्ध करेगा।
   (ख) 'प्रथम पक्ष' या उद्योग निदेशक के द्वारा समय–समय पर निर्धारित रीति के अनुसार एवं तिथियों को लेखाओं का विवरण सहित तुलन–पत्र एवं आवधिक विवरणों की प्रमाणित प्रतियाँ उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर को उपलब्ध करेगा।
   (ग) 'प्रथम पक्ष' या उद्योग निदेशक के द्वारा समय–समय पर अपेक्षित दस्तावेजों की सही प्रतियाँ उपलब्ध करेगा।

9. इस करार या इसमें निहित किसी प्रावधान, जो कि इसके विद्यमान रहने के दौरान हो, अथवा नहीं, के संबधं में या इसके कारण 'प्रथम पक्ष' एंव 'द्वितीय पक्ष' के बीच यदि कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो ऐसी अवस्था में उस मामले को उप राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। इस संबधं में माध्यस्थम और सुलह अधिनियम,1996 के प्रावधान लागू होंगें। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकर होगा। माध्यस्थम की कार्यवाही पोर्ट ब्लेयर में चलेगी।

10. ऐसी परिस्थितियां जब यहां उपरोक्त किसी खण्ड के तहत् कोई कार्रवाई होती है, तब 'द्वितीय पक्ष' के उपरोक्त कृत्यों के संबंध में उद्योग निदेशक को वहन करने की आवश्यकता पड़ने वाले विधिक प्रभार एवं ऐसे अन्य लागत का भुगतान 'द्वितीय पक्ष' के द्वारा किया जाएगा।

11. 'द्वितीय पक्ष' एत्द्द्वारा यह मानता है कि इस करार को तैयार करने एंव इसके निष्पादन के लिए लगने वाले सभी प्रासंगिक लागत/प्रभार एवं व्यय का वहन एवं भुगतान 'द्वितीय पक्ष' के द्वारा किया जाएगा।

12. 'द्वितीय पक्ष' एतद्द्वारा उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को 'प्रथम पक्ष' के द्वारा मंजूर किए जाने वाले सब्सिडी की राशि से स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन, जिसके लिए सब्सिडी मंजूर की जा रही है, के लिए वित्तिय संस्थान/बैंक के द्वारा दिए गए ऋण में से बचे वह राशि जिसे वित्तिय संस्थान/बैंक को ऋण के लिए ब्याज सहित भुगतान करना शेष है, को सीधे–वित्तिय संस्थान/बैंक को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए सहमत होता है।

साक्षियों के समक्ष 'प्रथम पक्ष' और 'द्वितीय पक्ष' ऊपर लिखे हुए दिन एवं वर्ष को इस विलेख पर अपना सामान्य मुहर लगाते हैं।

..... का सामान्य मुहर, जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायेरक्टरों के द्वारा उस दिन पारित संकल्प के अनुसरण में लगाया जाता है, जिनके समक्ष उसने/वे उसकी उपस्थिति के प्रतीकस्वरूप हस्ताक्षर किया है।

या

साक्षियों के समक्ष "प्रथम पक्ष" एवं "द्वितीय पक्ष" ने यहाँ उपरोक्त दिन एवं वर्ष को अपने (संबंधित) हस्ताक्ष करते हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुह

के समक्ष/उपस्थिति में

1.

2.

उद्योग निदेश

के समक्ष/उपस्थिति में

1.

2.

वचनबंध

हम एतद्द्वारा यह वचन देते हैं कि हमें "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए परिवहन सब्सिडी, 2017" के तहत उस कच्चा माल एवं निर्मित वस्तुएँ जिसके लिए हमें "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए सब्सिडी, 2017" दिया गया था, का उपयोग हमने वास्तव में हमारे इकाई/यूनिट पर किया है, को सुनिश्चित करने हेतु उपयोजन की जाँच के लिए हम उद्योग निदेशक या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय एवं समय–समय पर सामान्य कार्य के घंटों के दौरान आवश्यक रिकॉर्डों एवं लेखा बहियों का जाँच करने और परीक्षण करने की अनुमति देंगे।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन या उद्योग निदेशक के द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा समय–समय पर मांगी जाने वाली ऐसी सभी सूचनाओं को हम उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को उपलब्ध करेंगें।

हम वचन देते हैं कि यदि परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए सरकार/वित्तिय संस्थान/निगम ने वित्तिय सहायता प्रदान की है तो ऐसी अवस्था में सब्सिडी की राशि को ऋण खाता के समायोजन के लिए उपयोग किया जाएगा।

हम वचन देतें हैं कि यदि उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन अतंतः यह निर्णय लेता है कि किसी कारणवश, जो कोई भी हो, हम सब्सिडी के पूरी रकम या उसके किसी भाग के प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वह रकम जो अग्राहय पाया जाएगा, को ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर को वापस लौटा देंगे।

स्थान : पोर्ट ब्लेयर
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर एवं मुहर

संलग्नक–V

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी स्कीम, 2017 के लिए नकारात्मक सूची–

(1.) अधोलिखित औद्योगिक यूनिट अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी स्कीम, 2017 के अधीन लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होंगे :–

(क) बागान, रिफाइनरी एंव विद्युत उत्पादन इकाईयाँ/यूनिट।

(ख) ऐसे यूनिट जो पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन नहीं करता है या जिनके पास पर्यावरण एंव वन मंत्रालय या राज्य पर्यावरणीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण से जारी किया गया स्वीकार्य पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, या संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यूनिट की स्थापना और प्रचालन के लिए आवश्यक सहमति प्राप्त न की हो भी इस स्कीम के तहत् सब्सिडी पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) सरकार के द्वारा जब आवश्यक होगा तब एक अन्य अधिसूचना के माध्यम से शामिल किए जाने वाले कोई अन्य उद्योग/गतिविधि। यह उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(2) अधोलिखित कच्चा माल/निर्मित वस्तुएँ "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह परिवहन सब्सिडी स्कीम, 2018" के तहत् लाभ/हित पाने के लिए पात्र नहीं होंगें।

(क) ऐसे सभी वस्तुएँ जो "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1985 का 5वाँ) के प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अधीन आता है और जिसका संबंध तम्बाकू एवं विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थानियों से है।

(ख) पान मसाला, जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1985 का 5वाँ) के प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अधीन रखा गया है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 02.09.1999 के एस. ओ. 705 (ई) तथा दिनांक 17.06.2003 के एस. ओ. 698 (ई) द्वारा विनिर्दिष्ट 20 मैक्रोन्स से कम के प्लास्टिक कैरी बैग।

(घ) पेट्रोलियम तेल एवं गैस रिफाइनरियों से उत्पादित वस्तुएँ जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1985 का 5वाँ) के प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अधीन आता है।

(ड़) निम्न मूल्य परिवर्धन गतिविधियाँ जैसे भंडारण के दौरान परीक्षण, सफाई प्रकियाएँ/प्रचालन क्रियाएँ, पैकिंग पुनः पैकिंग या पुनः लेबेलिंग, छँटाई, खुदरा बिक्री कीमत में परिवर्तन इत्यादि किया जाता है।

(च) कोक (पेट्रोलियम कोक सहित)

(छ) फ्लाई ऐश।

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Port Blair Dated the 26th September, 2018

No. 317/2018/F. No 2-93/AP 2017-18 to 2019-20/PL/IND/2017-18/PF-III.— The Hon'ble Lt. Governor , A & N Islands has been pleased to announce a New Scheme / Programme **"Andaman & Nicobar Islands Transport Subsidy for Micro, Small & Medium Enterprises, 2017"**, for grant of Andaman & Nicobar Islands Transport Subsidy for Micro, Small & Medium Enterprises. The particulars of the new scheme are given below.

1. **Name & Title of the Scheme :**
This programme may be called **"Andaman and Nicobar Islands Transport Subsidy Programme for Micro, Small & Medium Enterprises, 2017".**

2. **Objective :**
i. The eligible freight charges shall be reimbursed as Transport Subsidy detailed below for transportation of raw materials from Mainland India Port to the location of the unit in the Union Territory and for transportation of finished goods from the location of the unit in the Union Territory to the Mainland Port. However, Freight charges for movement of finished goods/ raw materials by sea shall be determined on the basis of the "Freight rates" fixed for transportation of finished goods from Port Blair Port to Chennai Port or transportation of raw materials from Chennai Port to Port Blair Port or the actual freight paid whichever is less.

Sl. No.	Year from the date of commencement of production	Percentage of Subsidy Reimbursed for the freight charges eligible
1.	1st	65 %
2.	2nd	50 %
3.	3rd	40 %

ii. The eligible freight charges for transportation of raw material from any Inter Island Port to the location of the unit in the Union Territory and for transportation of finished goods from location of the unit in the Union Territory to any Inter Island Port/Jetty shall be reimbursed as Transport Subsidy as detailed below:

Sl. No.	Year from the date of commencement of production	Percentage of Subsidy Reimbursed for the freight charges eligible
1.	1st	65 %
2.	2nd	50 %
3.	3rd	40 %

iii. The Transport Subsidy will only be provided to the unit, which has commenced its commercial production from 1st April, 2017 to 31st December, 2019.

iv. Further, freight charges shall be reimbursed as transport subsidy for the freight charges incurred from 1st April, 2017 to 31st March, 2020.

3. **Commencement & Duration :**
The Scheme / Programme shall come in to effect from the date of publication of this Notification and shall remain in operation until 31st March, 2020. The Scheme / Programme shall be available to all such **for Micro, Small & Medium Enterprises** that have been commissioned and commenced their commercial production on or after 1st April, 2017 until 31st December, 2019. The Andaman and Nicobar Administration reserve the right to modify any part of the Scheme in public interest at any time.

4. **Applicability / Eligibility :**
All Micro, Small & Medium Enterprises shall be eligible for subsidy under this programme provided the unit has either :
i. Is having a memorandum under the Micro & Small Enterprise Development Act, 2006 with District Industries Centre , A & N Islands

or

ii. Is holding license from Govt. of India, Ministry of Industry or

iii. Is a holder of approved Industrial Entrepreneur Memorandum or

iv. Is a 100% Export Oriented Unit (EOU) approved by Govt. of India, Ministry of Industry

or

v. Is holding Udyog Aadhaar Memorandum & Udyog Aadhaar Acknowledgement.

vi. Holding license, approval and No Objection Certificate wherever applicable.

vii. The computation of subsidy shall be considered only when cashless transaction/ payments are made and no payment in cash shall be considered eligible for computation of subsidy.

5. Definitions :

i. **"Transport Subsidy"** means the amount reimbursable against the freight charges incurred by an unit in **Micro, Small & Medium Enterprises** for transportation of (1) raw material from Island Port in the A & N Islands to the location of the unit in the territory and for transportations of finished goods from location of the unit to the Inter Island Port/ Jetty in A & N Islands (2) raw material from Mainland India Port to the location of the unit in the Islands and for transportations of finished goods from location of the unit to the Mainland India Port. However, Freight charges for movement of finished goods/ raw materials by sea shall be determined on the basis of the "Freight rates" fixed for transportation of finished goods from Port Blair Port to Chennai Port or transportation of raw material from Chennai Port to Port Blair Port or the actual freight paid whichever is less.

ii. **"Freight Charges"** means the expenditure incurred for transportation of raw materials/ finished goods by Ship and or any Transport vehicle plying on road and shall not include the wharfage charges, barge charges, handling charges and loading charges.

iii. **"Raw material"** means any raw materials actually required and used by a MSME unit in the process of manufacturing as approved by the Govt. of India and/ or by the A & N Administration.

iv. **"Finished goods"** means the goods actually produced by MSME Unit in accordance with the manufacturing programme approved by Govt. of India and/ or A & N Administration. Bye Products are not considered as finished goods.

v. **"Enterprises"** means an Industrial undertaking or business concern or any other establishment by whatever name called engaged in manufacture or production of goods in any manner pertaining to industry specified in the first schedule of Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) or engaged in providing or rendering of any service or services.

vi. **"Micro Enterprises"** means an enterprise classified as such under sub-clause (i) of clause (a) or sub-clause (i) of clause (b) of Sub Section (i) of Section 7, Chapter-II of MSMED Act, 2006.

vii. **"Small Enterprises"** means an enterprise classified as such under sub-clause (ii) of clause (a) or sub clause (ii) of clause (b) of Sub-Section (i) of Section 7, Chapter-II of MSMED Act, 2006.

viii. **"Medium Enterprises"** means an enterprise classified as such under sub-clause (iii) of clause (a) or sub-clause (iii) of clause (b) of Sub-Section (i) of Section 7, Chapter-II of MSMED Act, 2006

ix. **"Implementing Agency"** means Directorate of Industries.

x. **"Policy Making & Disbursing Agency"** means Directorate of Industries.

xi. **Ineligible industries/goods/movements (Negative List) –**

a. The industrial units/items listed in Annexure-VI of this Notification will not be eligible for subsidy under the Scheme.

b. Unless otherwise specified, subsidy under the scheme will not be applicable to Industrial Unit for movement of raw materials and finished goods within the District of the Union Territory in which they are located.

6. Terms & Condition :

i. Freight charges for movement of finished goods/ raw materials by sea shall be determined on the basis of the "Freight rates" fixed by Indian Costal Conference/ Directorate of Shipping Services from time to time or the actual freight paid which ever is less. Similarly for movement of finished goods/ raw materials by road the rates fixed by a Price Fixation Committee, from time to time or the actual cost paid, whichever is less shall be considered.

ii. Freight charges for movement of finished goods/ raw materials by sea shall be determined on the basis of the "Freight rates" fixed for transportation of finished goods from Port Blair Port to Chennai Port or transportation of raw material from Chennai Port to Port Blair Port or the actual freight paid whichever is less.

iii. The subsidy claim should be restricted to the shortest route between Mainland Port/ Inter Island and the location of the unit or the actual cost of transportation whichever is less.

iv. Units employing their own modes of transport shall not be eligible for subsidy.

v. Cost of loading or unloading and other handlings charges from Port to the site of the industrial enterprise and vice versa will not be taken into account for the purpose of determining transport costs.

vi. If the raw materials are transported from any other Island other than the Island where the unit is located a certificate relating to the non- availability of raw material shall be produced from the concerned local Administrative Department. Also, the claiming unit shall produce the transit pass from the place of transportation.

vii. Units which come in to production on or after 1st April, 2017 till the date of this Notification shall submit their claims in quarterly manner on or before 90 days from the date of this Notification.

viii. Units which come in to production on or after 1st April, 2017 & after the date of this Notification, till 31st December, 2019 shall submit their claim in quarterly manner within next quarter (90 days).

ix. If the raw material/ finished products are transported by road between the places connected by sea, for the purpose of transport subsidy, the freight charges shall be taken what the unit would have incurred had it transported the raw materials / finished products by sea on ICC tariff / freight rate fixed by DSS or the actual freight incurred whichever is less.

x. Charges for movement of raw materials from the place of storage to the location of the unit and the charges for movement of finished products from the location of the unit to the places of storage with in the Island shall not be reimbursed.

xi. The units which bring raw materials from the mainland through Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDCO) or any other such Industrial Promotion Institutions shall be eligible for Transport Subsidy and the freight charges shall be determined as specified in the Para 6(i) of the programme.

xii. Transport Subsidy shall be considered either on weight or volume basis; whichever has been charged by the transporter.

xiii. The following products which are considered vital for the development of down stream Industries shall not be eligible for Transport Subsidy out of the Island (a) Sawn Timber (b) Processed Cane (c) Sea Shell.

xiv The unit shall inform regularly the movement of raw materials and finished goods to and from the unit and shall maintain necessary registers/ documents of production and utilization of raw material and keep them open for inspection by the Director of Industries, or any other Official authorized by them.

xv. The unit/applicant has to submit the claim in quarterly manner and no Claim, which is more than one year old from the date of incurring the transportation expenses, shall be eligible for reimbursement of transport subsidy and no claim for the period prior to commencement of programme shall be eligible.

xvi. The unit shall submit monthly / quarterly / half yearly / yearly progress report of production.

7. **Procedure for claiming Subsidy** :-

After obtaining Udyog Aadhaar Memorandum and Udyog Aadhaar Acknowledgement, the unit shall apply online through website and furnish the printout copy to the Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration in the prescribed form **(Annexure-I)** along with all supporting documents Bills/ Vouchers alongwith supporting money receipt and

i. Certificate from registered Chartered Accountant regarding the expenditure incurred for transportation of Raw Materials and Finished Goods **(Annexure-II)**.

ii. Proof of raw material transported into and finished product transported out of the Island duly certified from a registered Chartered Accountant.

iii. Document relating to conversion of land for commercial purpose under A&N Islands Land Revenue and Land Reform Regulations, 1966, as required.

iv. Approved building plan from Municipal Council/PRI, as required.

v. Clearance from Pollution Control Committee as required.

vi. The applicant should also submit a Port Management Board Certificate duly certified by Manager (Cargo), Port Management Board for the transportation of Raw Material and Finished Goods through Sea **(Annexure-III)**.

vii. Goods and Services Tax Registration Certificate.

viii. PAN Card Copy of all the applicants and Co-applicants.

ix. Copy of Pass Book / Bank Account Details clearly indicating the Bank Account No Branch Name, Bank Name, IFSC / MICR Code.

x. Capacity Assessment Certificate indicating the quantum of finished product produced and consumption of raw material issued by District Industries Center in case of new enterprises and quantum of capacity increased in case of existing uni undergoing expansion and capacity of new products / raw materials in case o enterprise going for diversification.

xi. True copies of the Bill of Lading, Bills, Money Receipt, Road Transport Bills supporting Money Receipt, Port Management Board Charges Payment Vouchers Wharfage Charges Receipt, Sales Bills, Purchase Bills etc.

xii. Tax Invoices in support of procurement of raw material.

xiii. Tax invoices in support of sale of finished goods.

xiv. GST Clearance Certificate in respect of the claim period/ GST Payment Challan Receipt.

xv. In case of excisable goods; certificate from excise department showing quantit cleared on quarterly basis / excise payment challan/ refund statement showin quantity and value.

xvi. In case of local sales, statement showing the detailed address of the purchaser wit payment receipt details (Cash/ Cheque) with certificate from Chartered Accountan on the body of the statement.

xvii. Detailed list of employees for the claim period duly certified by authorized officer Department of Labour and Employment.

xviii. The transport Subsidy application so submitted shall be examined by Directorate Industries and a duly authenticated verification report is to be prepared.

xix. In addition, the Director of Industries may call for any other documents f verification/ scrutiny to decide on the eligibility of the Transport Subsidy claim.

8. Price Fixation Committee, Sub- Committee and Scrutiny Committee :-

i. Price Fixation Committee

The cost of road transportation shall be fixed by Price Fixation Committee comprising of :-

a.	Director of Industries, A & N Administration	: Chairman
b.	Sr. Accounts Officer (Fin.), Representative of Finance & Excise Department, A & N Administration	: Member
c.	Representative of State Transport Service Department, A & N Administration	: Member
d.	Representative from Andaman Public Works Department, A & N Administration	: Member
e.	Assistant Director (Tech.), Directorate of Industries	: Member Secretary

The role and functions of the Price Fixation Committee shall be computation of the road rate for transportation of goods through road within A & N Islands, provided fixed rate is not available with Andaman & Nicobar Administration.

ii. Sub- Committee

The claim will be placed before the Sub- Committee comprising of :

a.	Director of Industries, A & N Administration	: Chairman
b.	Sr. Accounts Officer (Fin.), Representative of Finance & Excise Department, A & N Administration	: Member
c.	Representative to be nominated by Chief Port Administrator, Port Management Board not below the rank of Manager	: Member
d.	Representative of Goods & Services Tax Department, A & N Administration	: Member
e.	Representative to be nominated by Director of State Transport Service Department, A & N Administration not below the rank of Assistant Engineer	: Member
f.	Representative of Directorate of Shipping Services, A & N Administration not below the rank of Assistant Director	: Member
g.	Assistant Director (Tech.), Directorate of Industries, designated as Programme Implementing Officer, Directorate of Industries	: Member Secretary

The following are the role and functions of the Sub-Committee in implementation of the aforementioned scheme :-

a. The "Sub-Committee"will examine and recommended all claims of subsidy under the scheme arising to "Scrutiny Committee".

b. The "Sub-Committee" shall ensure that the recommendations made are with due diligence and after cross verification with the documents of the concerned Departments to ensure that transportation of such raw materials / finished goods has actually taken place for which subsidy is being recommended. It shall be ensured that the subsidy amount being recommended by "Sub-Committee"does not involve any cash payment made by the unit for transportation of raw material/ finished goods.

c. Along with other necessary documents, the "Sub-Committee" shall also ensure that the claimant has submitted proof of raw materials 'imported' into and finished goods 'exported' out of the Island/Union Territory where the MSME unit is located, from the registered chartered accountants. The "Sub-Committee"may lay down the production of any other documents which in its opinion is necessary to recommend the eligibility of claimant for the subsidy under the scheme. The Sub-Committee would give a certificate of such verification made by them.

d. The "Sub-Committee" shall also ensure that the subsidy being claimed by the unit is not arising out of transportation of raw material and finished goods by their own goods carriers.

e. The "Sub-Committee"shall place the claim before the "Scrutiny Committee" with its recommendation.

ii. **Scrutiny Committee**

The recommendation of the "Sub-Committee" alongwith detailed claim of the MSME unit will be submitted to the "Scrutiny Committee" comprising of :-

a.	Secretary (Industries), A & N Administration	:	Chairman
b.	Chief Port Administrator, A & N Administration	:	Member
c.	Jt. Secretary (Finance), A & N Administration	:	Member
d.	Director of State Transport Service Department, A & N Administration	:	Member
e.	Director of Shipping Services, A & N Administration	:	Member
f.	Director (Industries), A & N Administration	:	Member Secretary

iii. After recommendation of the Scrutiny Committee, the Directorate of Industries shall process for obtaining Administrative Approval and Expenditure Sanction of Competent Authority.

9. Sanctioning Authority :-

Hon'ble Lt. Governor, A & N Islands shall be the sanctioning authority or as per Delegation of Financial Power Rule, 1978, vide A & N Administration Order No. 995 dated 28th March, 2014 for grant of expenditure/ financial sanction with respect to subsidy/ financial assistance have been re-delegated to Administrative Secretary/ HoD upto the financial limit prescribed thereunder.

10. Documentation :-

On receipt of the sanction from the sanctioning authority, the Directorate of Industries shall issue sanction letter to the unit stating the amount sanctioned and the unit shall be required to furnish the following documents in order to avail the sanctioned subsidy :

a) An agreement executed with the Govt. in the prescribed form **(Annexure- IV)** appended to this programme.

b) Authorized person and bank detail.

c) An undertaking from the unit to the effect that the subsidy shall be adjusted towards the loan account in case the unit has avail financial assistance from Govt./ Financial Institutions/ Bank/ Corporation for creating fixed assets. **(Annexure- V)**

11. Disbursement of Subsidy :-

The Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration shall be disbursing agency for the subsidy and will be responsible for maintaining all records of such disbursement. On obtaining approval from the Competent Authority and the documents Directorate of Industries shall prepare bill and sent to PAO for disbursement of subsidy.

12. Recall of Subsidy :-

The Lt. Governor, A & N Islands may recall the subsidy disbursed under the programme in respect of a unit under any of the following circumstances :

i. In case there is a breach of any condition of programme/agreement by the enterprise/ unit.

ii. In case the unit has obtained the Subsidy by misrepresentation of facts or by furnishing false information.

iii. In case the unit goes out of production within five years from the date of commencement of production, except in cases where the unit remains out of production for a short period extending not more than six months, due to reasons beyond its control.

iv. In case the unit fails to furnish any information/ report as and when sought.

v. In case the unit, without taking prior approval of Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration shifts the location of the unit or a part of it or disposes a substantial part or whole part of its fixed capital investment within a period of five years after the receipt of Subsidy.

vi. In case the unit is found ineligible for any reason, whatsoever, the Department shall have the liberty to consider recall of the subsidy in full or part thereof.

13. **Power of Interpretation** :-
Power of Interpretation of any clause under the programme shall lie with the A & N Administration.

14. **Power of Relaxation** :-
Power of Relaxation of any clause under the programme shall lie with the Administrator, A & N Administration.

15. **Arbitration** :-
In the event of any dispute or difference arising out of the programme or any of the claims therein, the same shall be referred to a sole Arbitrator appointed by Hon'ble Lt. Governor and the provision of Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall be applicable. The decision of the Arbitration shall be final and binding on both the parties and the arbitration proceeding shall be held at Port Blair.

16. **Jurisdication** :-
Competent Court at Port Blair shall have the jurisdiction over the disputes arising out of the scheme "Andaman & Nicobar Islands Transport Subsidy for Micro, Small & Medium Enterprises, 2017".

Admiral D.K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lt. Governor (Administrator),
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd./-
(Ajit Anand)
Director of Industries

Annexure-

Checklist

1.	Employing of Own Modes of Transportation (Yes/No)	
2.	Transportation of Sawn Timber/Processed Cane/ Sea Shell (Yes/No)	
3.	Whether claim made for the first time (Yes / No)	
4.	Whether completed 5 years of commercial production (Yes / No)	
5.	Whether submitted within one year from the date of incurring expenditure on freight (Yes / No)	
	Details of Documents Submitted	
6.	Udyog Aadhaar Memorandum	
7.	Udyog Aadhaar Acknowledgement/Registration Certificate	
8.	Application in prescribed format	
9.	Chartered Accountant Certificate regarding expenditure incurred for transportation of Raw Materials and Finished Goods	
10.	Proof of raw materials transported into and finished product transported out of the Island duly certified from Chartered Accountant	
11.	Land Owner Ship Document/Lease Agreement	
12.	Land Conversion order from competent authority	
13.	Building Plan approval from competent authority	
14.	License/Approval/NOC (wherever applicable)	
15.	NOC from Pollution Control Board with date	
16.	Bills/Vouchers/Money Receipts	
17.	Port Management Board Certificate for transportation of Raw Materials and Finished Goods through sea	
18.	Statement of stock, receipts, production & consumption of raw material/ dispatched of finish goods	
19.	Any other document for verification/scrutiny to decide eligibility	
20.	Cashless transaction/payments details	

APPLICATION FORM

1.	Name of Applicant & Enterprise			
2.	Address for Communication			
3.	Location of Enterprise			
4.	Category of Enterprise (Micro/Small/Medium)			
5.	Type of Organization			
6.	Date of Commencement of Production/Activity			
7.	Registration Number with Date			
8.	Land Conversion Order No. with Date			
9.	Building Plan Approval Order No. with Date			
10.	NOC from Pollution Control Board with Date			
11.	The Activity for the Unit has been approved by the following Financial Institution/ Bank (if any)			
12.	Investment of the Enterprise	**Own**	**Loan**	**Total**
	Total			
13.	Employment (Nos.)	**Local**		**Non-Local**
14.	Category (SC/ST/OBC/Physically Challenged/ Women)			
15.	Period of Claim			
16.	Capacity per annum (Finished Product)			
17.	Name of the Product	**Quantity**		**Value at Sales**
18.	Capacity per annum (Production)	Quantity		Cost
19.	Consumption of raw materials for claim period from ..... to			
	Name of the Raw Material	Quantity		Cost
20.	Quantity imported in for the claim period ..... to			
21.	Name of the Raw Material	Quantity		Cost
22.	Production for the claim period from ..... to			
23.	Name of the Finished Product	Quantity		Cost
24.	Quantity exported out			
25.	Date of Purchase of raw materials and their source of purchase			
26.	Place of product sold/ dispatched with dates			

S. No.	Freight for raw material			Freight for finished goods			Total Freight (Rs.)
	Ship freight (Rs.)	Road freight (Rs.)	Total (Rs.)	Ship freight (Rs.)	Road freight (Rs.)	Total (Rs.)	

1. Certified that, all particulars filled in are in accordance with the A & N Island Transpo Subsidy Programme for Micro & Small Enterprises.

2. Certified that, the claim made above does not contain any amount for internal movement an cost of loading / unloading and handling as per the Transport Subsidy Programme for MSM Enterprises.

3. Certified that subsidy claimed now, relates to period in respect of which subsidy has not bee claimed and or reimbursed by A & N Administration/ Government of India in any manner.

4. Certified that, the subsidy claimed now is in no way related to any claim made to Governme of India/ A & N Administration in any manner.

5. I/we further certify that, the quarterly returns in respect of consumption of raw materials ar production of semi finished product have been submitted to the disbursing agency upto th date, if claimed. We further undertake that similar quarterly statement for the coming 5 yea will be submitted by us for records of the disbursing agency.

6. I/ we further certify that, the expenditure on which the subsidy claim has been made by m us under the abovementioned claim have actually been duly paid by me and no credit rais thereof against in my/our books.

7. I/we further certify that, the abovementioned claim cover only the freight of the industrial ra materials imported in to which are absolutely necessary for the production and the finish products exported out of the Enterprises for its marketing which do not include any norm import or export of the Enterprises.

8. I/we undertake to submit the disbursing agency the annual audited statement of accoun and balance sheet of my/our Enterprises within 9 months from the close of the year for period of 5 years from the year of disbursement is received by me/ us.

9. I/We hereby agree that I/We shall forthwith repay the amount disbursed to me/us under th programme, if the amount of Rs. (Rupees.....) towards .....% subsidy is fou to have been disbursed in excess of the amount actually admissible for whatsoever th reason. Further we shall also be liable to pay interest at such rate as prescribed by th Government from time to time on such amount as such other charges/ expenses which m be payable by us.

10. It is hereby further certified that I have neither applied nor have received any amount by w of grant or subsidy in respect of this unit from Government/ Financial Institution.

Signature of the Applica

Annexure-II

Chartered Accountant Certificate (A & N Islands Transport Subsidy)

For finished products/ raw materials M/s .....Statement of freight paid from ..... (date) to .....(date) for export of finished products of the units from ..... (location of the Enterprises) to ..... Place/Places dispatched.

Date of dispatch/ receipt	Name of product/ raw material	Name of the ship and voyage No.	Bill of lading No. and date	Qty. dispatched/ imported (in cbm./mt.)	Port of loading	Port of unloading	Shipping freight paid	Road freight paid (from the location of the unit to port /vice versa)	Total freight incurred
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Certificate

1. I/we have examined the above statement of M/s ..... which are in agreement with the books of accounts of the Enterprises as produced before me/us and certify that the aforesaid information are to the best of my/our information and according to the explanation given to me/ us have been found to be correct and certified to be true.
2. I/we also certify that the aforesaid expenditure/items have been duly paid for and no credit raised their against in the books of the Enterprises.
3. I/we further, certify that the finish product exported out the states/union territory/ area was solely produced by the unit and such export was essential for smooth running of the Enterprises. The above mentioned export does not include the normal export of the unit / company, the normal export means which has no relation with production.

Chartered Accountant
Signature and Seal.

Annexure-III

Certificate from Port Management Board

Sl. No.	Name of the material	Name of ship	Voyage No.	Quantity	Wharfage receipt No.	Remarks

Port Management Board

Annexure-I

AGREEMENT

THIS INDENTURE MADE ON ..... day ..... Two Thousand ..... BETWEEN The Presider of India acting through the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Island acting through the Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration hereinafter will b called as the 'First Party', (which expression shall unless it be repugnant to the context meaning thereof deem to include its successors and assigns/ his heirs, executors, administrato and assigns) and Messer's ..... having its office ..... hereinafter called the 'Second Party' (whic expression shall unless it be repugnant to the context or meaning thereof deem to include it successors and assigns/ his heirs, executors, administrators and assigns).

WHEREAS :

1. Andaman & Nicobar Administration has framed a programme called the **"Andaman Nicobar Islands Transport Subsidy for Micro, Small & Medium Enterprises, 2017"** fo the units set up in Andaman & Nicobar Group of Islands (hereinafter referred to as 'the sai programme' where under with a view to promoting growth of Industries in the Andaman Nicobar Group of Islands by the A & N Administration by granting a subsidy to the partie who set up unit in the Andaman & Nicobar Group of Islands and undertake substanti expansion of existing Industries set up in Andaman & Nicobar Islands and the said partie satisfy the terms and conditions laid down under the programme.
2. The **Islands Transport Subsidy** hereinafter referred to as the said subsidy sanctioned by th Andaman & Nicobar Administration.
3. The 'First Party' has appointed the Director of Industries, Andaman & Nicobar Administratio (hereinafter referred as 'Director of Industries') to act as Agent for the Disbursement of th said subsidy.
4. The 'Second Party' has set up an Industry at ..... an have satisfied the condition of the subsidy programme and have, therefore, becomes eligibl for the benefits under the said subsidy programme.
5. Under the said subsidy programme, the 'Second Party' is eligible for subsidy to the extent ..... % their expenditure on freight charges for transportation of raw materials finished goods from location of unit to any Islands in A& N Islands or Chennai Port & (Vic Versa) of Andaman & Nicobar Islands.
6. The 'Second Party'(s) by his/ her/ their application dated the day ..... applied t the Administration for the grant of subsidy amounting to Rs. ..... (Rupees..... only)
7. After considering the above application and the further representation made by the 'Secon Party' from time to time the total expenditure for the freight charges from the location of uni at ..... is estimated to the tune of Rs. ...../ (Rupees..... only). Accordingly th maximum amount.....% admissible comes to Rs...../ (Rupees.....only)
8. Relying on the said application and subsequent representation made by the 'Second Party the 'First Party', has sanctioned the Subsidy of Rs...../-(Rupee .....only) and the Director Industries , Andaman & Nicobar Administration has agreed to pay the same on behalf of th 'First Party' to the Second Party' on his/her/their executing the necessary documents, a hereinafter appearing and creating the fixed assets to the tune of Rs. ...../ (Rupees .....only).

NOW, THIS INDENTURE WITNESS AND it is hereby agreed by and between the parties hereto as under :

In consideration of the 'First Party' agreeing to give the 'Second Party' under the said programme, in such installments as the Administration in its sole discretion think fit, an aggregate amount of Rs...../-(Rupees.....only) as and by way of the subsidy on the 'Second Party' expenditure of Rs...../-(Rupees ..... only) for the freight charges incurred by said unit as the 'Second Party' (s) do and each both hereby cotenants with the Govt. as under :-

1. The Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration will be entitled in his sole discretion make disbursement of the subsidy of any part thereof either in one or more installments to the 'Second Party' on its complying with the terms and conditions of the subsidy and of this Agreement.

2. In the event of the Director of Industries , Andaman & Nicobar Administration, ultimately deciding for any reason whatsoever, that, the 'Second Party' is/are entitled to a lesser amount, the excess amount of the "Andaman & Nicobar Islands Infrastructure Subsidy for Micro, Small & Medium Enterprises, 2017" shall be repaid by the 'Second Party' to the 'First Party' or to the Director of Industries as the authorized Agent of the 'First Party' or to the Director of Industries as the authorized Agent of the 'First Party' together with interest accrued thereon at the rate of 12½% (Twelve and a half percent) per annum or such other higher rate as the 'First Party' or the Director of Industries may decide from time to time from the date of payment of the said sum of Rs...../-(Rupees ..... only) or any part thereof paid under this Agreement till the repayment.

3. The 'Second Party' shall not without taking prior approval the Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration, change the location of the whole or any part of MSME Unit or effect any substantial change in the said project.

4. The 'Second Party' shall promptly furnish to the Director of Industries , Andaman & Nicobar Administration /'First Party', certified copies of its Audited Balance Sheet and profit & loss account within a period of six months from and by such dates as may be prescribed by the Administration from time to time.

5. The said sum of Rs...../-(Rupees..... .....only) or such part thereof as may have been till then paid by the 'First Party' to the 'Second Party' shall become forthwith repayable by the 'Second Party' to the 'First Party' in each and every of the following events, namely:

   a. If the 'Second Party' fail to go into production within a reasonable time, or;
   b. If the 'Second Party' go out of production within five years from the date of commencement of production, or;
   c. If the 'Second Party' change the location of the whole or any part of the MSME unit or effect any substantial part of the total fixed capital investment within a period of five years going into production, or;
   d. If any information furnished by the 'Second Party' in his/her/their application for the subsidy or otherwise howsoever particularly regarding the location, capital investment and production capacity of the said unit prior to sanctioning of the said sum of Rs...../- (Rupees.....only) as the subsidy is found to be incorrect or false, or ;
   e. If a distress or execution shall be levied upon any property of the 'Second Party' or any part of the said factory or Receiver thereof be appointed, or;
   f. If the 'Second Party' commits breach of anyone of the covenants or provisions, or terms and conditions herein contained and on their part to be observed and performed, or;
   g. If the 'Second Party' close the said factory for a period exceeding six months at a time for reasons, other than the labour trouble, want of electric power or raw materials, shall cause to discontinue the business for any reason whatsoever, or;

h. If the 'Second Party' or any of their partner file a petition for being adjudicate insolvent or are adjudicated insolvent, or;

i. If any petition for winding up the 'Second Party's, company is presented to ar court or the company of the 'Second Party' passes any resolution for being woun up, or;

j. If the 'Second Party' fail or neglect to forthwith execute such further documents a may be required by the 'First Party' or to duly comply with any directions given to by the 'First Party' or the Director of Industries. In each one of the aforesa contingencies the 'Second Party' agree to repay the whole amount mentioned abo with interest thereon at the rate of 12½ %(Twelve and a half percent) per annum such other higher rates as the 'First Party' or the Director of Industries may deci from time to time from the date of disbursement for the subsidy till the repayment.

6. The 'Second Party' shall permit any person or persons authorized by the 'First Party' i that behalf at any time and from time to time during the usual time of the business inspect and examine any part of the said enterprises and shall render to him/them suc assistance as may be required for the purpose aforesaid. The 'Second Party' shall furnis to the 'First Party' or to such person or persons as aforesaid. The 'Second Party' sha furnish to the 'First Party' or to such person or persons as aforesaid all such informatio relating to the said factory as may be required by such person or persons.

7. The 'Second Party' shall observe and perform, all instructions and directions that may b issued from time to time by the 'First Party' or the Director of Industries in relation utilization of the said sum of Rs...../- (Rupees ..... only) and shall for five years hereinafter submit to the 'First Party' yearly/ periodic progress report to the Director of Industries on the working of the said unit at the time i the prescribed form by 'First Party' or Director of Industries. (Annexure-IV)

8. The 'Second Party' shall :

   a. Furnish information asked for by the Government of India or by the 'First Party', by the Member Secretary, Scrutiny Committee from time to time, and;

   b. Furnish to the Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration, Po Blair certified copies of the Statement of Accounts including the Balance Sheet a also periodical statements in such form and by such dates as may be prescribed b the 'First Party' or the Director of Industries from time to time, and;

   c. Furnish true copies of the documents as may be required by the 'First Party' or th Director of Industries time to time.

9. In the event of any dispute or differences arising between the 'First Party' & 'Second Part hereto in respect of or in relation to this Agreement or any provision herein containe either during the subsistence of this Agreement, the same shall be referred to the So Arbitrator appointed by the Lt. Governor of Andaman & Nicobar Administration. Th provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 shall be applicable in this regard. Th decision of the Sole Arbitrator shall be final and binding on the parties. The proceeding Arbitration shall be held at Port Blair.

10. In the event of any action arising under any of the clauses herein above, the 'Secon Party', will pay the Legal charges and such other costs as the Director of Industries ma be required to incur in connection with the action contained above of the 'Second Party'.

11. The 'Second Party' hereby agreeing to bear and pay all the costs/charges and th expensed incidental to the preparation and the execution of this Agreement.

12. The 'Second Party' hereby agrees to authorize the Director of Industries, Andaman Nicobar Administration to pay directly to the Financial Institution/Bank out of subsid amount sanctioned by the 'First Party', for such amount due to be paid to the Financi Institution /Bank, towards loan alongwith interest, granted by the Financial Institution Bank for creation of fixed assets, for which the said subsidy is sanctioned.

IN WITNESS WHEREOF the 'First Party' and the 'Second Party' have affixed their common seal to this writing the day and year first hereinabove written.

THE COMMON SEAL OF

Is here upto affixed pursuant to the resolution of the Board of Directors of the Company passed on the day in the presence of who has/have put his/her/their signature IN TOKEN OF HIS PRESENCE in the presence of

Or

IN THE WITNESS WHEREOF the 'First Party' and the 'Second Party' have put their (respective) hands hereto the day and year hereinabove written.

Signature & Seal of Applicant

In the presence of

1. .....

2. .....

Director of Industries

In the presence of

1. .....

2. .....

Annexure-V

UNDERTAKING

We hereby undertake that we shall permit any person authorized by the Director of Industries or by Administration in their behalf any time and from time to time during the usual time of business to inspect and examine the necessary records and book of accounts, in order to check the utilization and use of "Andaman & Nicobar Islands Transport Subsidy for Micro, Small & Medium Enterprises, 2017" received by us and to ensure that the raw materials and the finished goods in-respect of which "Andaman & Nicobar Islands Transport Subsidy for Micro, Small & Medium Enterprises, 2017" has been given to us were actually used in our units.

We shall furnish to the Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration all such information as asked for by the Administration of Andaman and Nicobar Islands or by any other officer authorized by the Director of Industries from time to time.

We undertake that the subsidy shall be adjusted towards the loan account in case the Govt./ Financial Institutions/Corporation has financed for creating assets.

We undertake that if the Director of Industries, Andaman & Nicobar Administration ultimately decides for any reason whatsoever that we are not entitled for the reimbursement of Subsidy in full or in part, the amount found to be inadmissible would be refunded to the Director of Industries, Directorate of Industries, Port Blair within one month from the date of such information.

Place : Port Blair
Dated :

Signature & Seal of Applicant

Annexure-VI

NEGATIVE LIST FOR ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS TRANSPORT SUBSIDY SCHEME, 2017

1. The following Industrial Units will not be eligible for benefits under A & N Islands Transport Subsidy Scheme, 2017:
    a. Plantations, Refineries and Power Generating Units;
    b. Units not complying with environmental standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests (MoEF) or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for subsidy under scheme.
    c. Any other industry/activity through a separate Notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such Notifications.
2. The following raw materials/finished goods will not be eligible for benefits under A & N Islands Transport Subsidy Scheme, 2018 :-
    a. All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertain to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
    b. Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).
    c. Plastic carry bags of less than 20 microns as specified by the Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O. 698(E) dated 17.06.2003.
    d. Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by petroleum oil or gas refineries.
    e. Low value addition activities like preservation during storage, cleaning operations, packing, repacking or re-labeling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place.
    f. Coke (including Petroleum Coke).
    g. Fly Ash.

MGPPB—323/Gazette/2018 — 25 Copies. (SB-HCL-XII)